गुजरात द्वारा शहरी विकास निधियों का उपयोग न किया जाना

1291. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात को विशेषकर सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष शहरी विकास परियोजनाओं के लिए कुल कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या तत्कालीन सरकार ने निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता के वितरण में कोई विलम्ब किया गया था;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में तत्कालीन राज्य सरकार को कोई दिशा-निर्देश जारी किये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेश्वरलु): (क) और (ख) छोटे तथा मंझौले शहरों के समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई॰डी॰एस॰टी॰) के तहत गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात मे शहरी विकास परियोजनाओं के लिए मुहैया करायी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	रुपये लाखों में
1993-94	131.24
1994-95	150.00
1995-96	118.00

सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के शहरों सहित सभी शहरों को जारी धन-राशि और सूचित व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण -I में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**।

(ग) ऐसे मामलों में, जो आई डी एस एम की दिशा निर्देश के अनुरूप हैं और गुजरात राज्य को आबंटित शहरों की संख्या के भीतर हैं, केन्द्रीय सहायता के वितरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) आई डी एस एम टी योजना के कार्यान्वयन को सुसंगत बनाने के लिए सभी राज्यों में लागू योजना के दिशानिर्देशों में अगस्त, 1995 में संशोधन किया गया। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत केन्द्रीय सहायता और राज्य अंश में संशोधन करके उदार ऋण को अनुदान में बदल दिया गया है और संस्थागत वित्त घटक को कम कर दिया गया है संशोधित आई डी एस एम टी योजना की मुख्य बातें विवरण -II में दी गई है।

विवरण-I

आई डी एस एम योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को जारी केन्द्रीय सहायता और राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय के शहर-वार ब्यौरे।

(रु. लाखों में)

शहर का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता			आज तक सूचित कुल व्यय
	1993-94	1994-95	1995-96	
नई परियोजनाएं				
1. वाघवान	24.00			39.49
2. भारुच	24.00			3.25
3. नाडियाड	57.24			49.98
4. पालीटाना		24.00		14.28
5. बोरसाद		22.00		6.88
6. घोराजी		7.00		-
7. पेटलाड		15.50		-
8. पादरा		36.00		15.94
9. सावरकुन्डला		11.00		13.32
10. दभोई		13.50		1.02
11. बावला			22.50	-
12. मोडासा		22.50	22.50	-
13. इदर			15.00	-
14. आनन्द			55.00	-

1	2	3	4	5	6
चालू परियोजनाएं					
1.	महुआ	3.00			101.04
2.	बिल्लीमोरा	10.00		3.00	104.31
3.	विसनगर	3.00			73.21
4.	सुरेन्द्र नगर	10.00			61.26
5.	ऊंझा		1.00		86.93
6.	सिधपुर		20.00		51.04
	कुल:	131.24	150.00	118.00	622.75

विवरण-II

छोटे तथा मझौले शहरों के समेकित विकास की योजना के संशोधित दिशा-निर्देश: मुख्य बातें

छोटे तथा मझौले शहरों के समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना सभी राज्यों में 1979-80 से चल रही है। इस योजना का उद्देश्य अवस्थापना व सेवा सुविधाओं युक्त चुनिंदा क्षेत्रीय वृद्धि केन्द्रों की स्थापना करना है। ताकि ये (केन्द्र) आर्थिक विकास और रोजगार अवसरों के केन्द्रों के रूप में उभर सकें और लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े तथा मेट्रो शहरों में आकर बसने पर रोक लगा सकें। आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश पिछली बार भारत सरकार द्वारा अगस्त 1995 में संशोधित किया गया था। संशोधित स्कीम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

(क) योजना का उन शहरों में लागू किया जाएगा जहां निर्वाचित स्थानीय स्वशासन है।

(ख) आई.डी.एस.एम.टी. योजना के दायरे को 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों तक बढ़ाना।

(ग) राज्य सरकारों को राज्य शहरी विकास कार्यनीति दस्तावेज तैयार करने होंगे तथा प्राथमिकता विकास के लिए शहरों का पता लगाना होगा और उनका व्यापक औचित्य देना होगा।

(घ) संशोधित योजना में सम्पूर्ण-शहर विकास आधार पर चुनिंदा शहरों के विकास हेतु केन्द्रीय अनुदान का प्रावधान है।

(ङ) अधिकतम सीमा में वृद्धि करना तथा बजट सहायता को उदार ऋण से अनुदान में बदलना।

(च) संस्थागत वित्त ऋण घटक को परियोजना लागत के 40-70% से घटाकर 20-40% करना।

(छ) नई वित्त व्यवस्था पद्धति इस प्रकार है:-

नगर श्रेणी	परियोजना लागत (न्यूनतम) (रु. लाखों में)	अधिकतम केन्द्रीय सहायता	राज्य अंश (अनुदान)	हडको ऋण/अन्य वित्तीय संस्थान अन्य स्रोत (रु. लाखों में)
ए (20,000)	100	48	32	20(20%)
बी (20,000-50,000)	200	90	60	50(25%)
सी (50,000-1,00,000)	350	150	100	100(29%)
डी (1-3 लाख)	550	210	140	200(36%)
ई (3-5 लाख)	750	270	160	300(40%)

(ञ) शहरी अवस्थापना के स्थायी विकास की बाबत नगरपालिका स्तर पर आवर्ती कोष बनाना।

(झ) राज्य स्तरीय आई डी एस एम टी अनुमोदन समितियों द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन।

(ञ) नगर विकास योजनाएं/आई डी एस एम टी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/नगर पालिकाओं को अनुदान सहायता का प्रावधान।

National Housing Policy for the Homeless and Poor

1292. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased state:

(a) whether Government have formulated any National Housing Policy to provide houses to homeless, poor, labourers and the insecure sections of the society;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the State-wise targets fixed under the said National Housing Policy; and

(d) what are the details of steps taken/being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) yes, Sir. The National Housing Policy adopted by parliament in August, 1994 seeks to reduce houselessness in the country. The main objective of the Policy is to assist all people and in particular the houseless, the inadequately housed and the vulnerable sections to secure for themselves an affordable shelter. Housing being a State subject it is for the State Govts./U.Ts. to formulate and implement housing schemes for various categories of economically weaker sections, within the broad framework of the National Housing Policy.

(c) The National Housing Policy has not laid down any State-wise targets. Under the 20 Point Programme, Statewise targets are fixed for the implementation of housing programmes for the poorer sections. A statement indicating State-wise tentative targets for construction of dwelling units for EWS during 1996-97 is enclosed (*See* below)

(d) State Governments execute the housing schemes in accordance with their priority and available resources. HUDCO is also providing financial assistance to State/city level housing agencies for the construction/upgradation of houses. As on 31.5.96, HUDCO has sanctioned loan assistance of Rs. 7839.37 crores for the construction/upgradation of 60,10,962 dwelling units, out of which 47,04,836 are for the economically weaker sections(EWS).

Statement

Targets for construction of EWS dwelling units during 1996-97 under 20 Point Programme

Sl. No.	State/UTs	Unit Nos.
1.	Andhra Pradesh	25000
2.	Assam	1800
3.	Bihar	4200
4.	Goa	200
5.	Gujarat	5300
6.	Haryana	1500
7.	Himachal Pradesh	150
8.	Jammu & Kashmir	700
9.	Karnataka	5150
10.	Kerala	20,000
11.	Madhya Pradesh	5700
12.	Maharashtra	11300
13.	Manipur	200
14.	Meghalaya	150
15.	Mizoram	150
16.	Orissa	1600
17.	Punjab	2250
18.	Rajasthan	3750
19.	Sikkim	150
20.	Tamil Nadu	7100
21.	Tripura	150
22.	Uttar Pradesh	10200
23.	West Bengal	7000
Union Territories		
1.	A & N Islands	50
2.	Daman & Diu	50
3.	Delhi	3150
4.	D & N Haveli	—
5.	Pondicherry	—
	Total:	116950